

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-प.1(3)न्याय/2010

दिनांक


- 5 JUN 2020

अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 8 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.01.2011 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिये नियुक्त किये जाने वाले जिला न्यायाधीशों की संख्या 35 के स्थान पर 36 नियत करते हुए जिला न्यायालय, जयपुर महानगर के विद्यमान न्यायालय के स्थान पर निम्न जिला न्यायालय स्थापित करती है और उनके न्यायालयों के बैठक के स्थान एवं क्षेत्राधिकार की सीमा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार नियत करती है:-

क्र.सं.	जिला न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1.	जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-I	जयपुर	उपायुक्त पुलिस जयपुर पूर्व एवं दक्षिण के अधीन आने वाला क्षेत्र
2.	जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-II	जयपुर	उपायुक्त पुलिस जयपुर पश्चिम एवं उत्तर के अधीन आने वाला क्षेत्र

राज्यपाल के आदेश से,



(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर/ पुलिस आयुक्त, जयपुर।
9. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम एवं जयपुर महानगर द्वितीय।

10. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- ✓ 13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट एवं ई-गजट में ऑनलाईन प्रकाशन करवाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।



(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव